

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:-

अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :-

375/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :-

2025/604

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

- 1.चूनाराम पुत्र सालुराम
- 2.तगाराम पुत्र चूनाराम
- 3.तुलछाराम पुत्र चूनाराम
- 4.पेमाराम पुत्र चूनाराम
- 5.जेठीदेवी पत्नि चूनाराम
- 6.भोमाराम पुत्र राजूराम
- 7.भीयाराम पुत्र राजूराम
- 8.चिमूदेवी पत्नि वेहनाराम
- 9.भंवराराम पुत्र वेहनाराम
- 10.जेठाराम पुत्र पीथाराम
- 11.नैनाराम पुत्र पीथाराम
- 12.राजा पत्नि पीथाराम
- 13.चेतनराम पुत्र हिमताराम
- 14.लालाराम पुत्र हिमताराम
- 15.भेराराम पुत्र हिमताराम
- 16.कानाराम पुत्र हेमाराम
- 17.हनुमानराम पुत्र हेमाराम
- 18.हेमाराम पुत्र जयरूपाराम

जाति जाट निवासी श्री वीर
तेजाजी नगर (दुधवा) तहसील
पचपदरा व जिला बालोतरा

- 1.मालाराम पुत्र पूनमाराम
- 2.लालाराम पुत्र पूनमाराम
- 3.पेमाराम पुत्र पूनमाराम
- 4.नोजी देवी पत्नि पूनमाराम
- 5.भेराराम पुत्र रावताराम
- 6.खेमाराम पुत्र रावताराम
- 7.लाली पत्नि खेमाराम
- 8.नगाराम पुत्र जगाराम
- 9.कुंभाराम पुत्र जगाराम
- 10.वालाराम पुत्र जगाराम
- 11.कोहलाराम पुत्र हीराराम
- 12.वालाराम पुत्र हीराराम
- 13.देवाराम पुत्र मगाराम
- 14.गिरधारीराम पुत्र रामाराम
- 15.खेमाराम पुत्र मगाराम
- 16.पताराम पुत्र भोमाराम
- 17.रूघाराम पुत्र भोमाराम
- 18.कुंभाराम पुत्र भोमाराम
- 19.हीरा देवी पत्नि भोमाराम
- 20.राउराम पुत्र नैनाराम
- 21.खेताराम पुत्र नैनाराम
- 22.मदन पुत्र नैनाराम
- 23.अणदाराम पुत्र खेमाराम
- 24.मोहनराम पुत्र खेमाराम
- 25.मानाराम पुत्र खेमाराम
- 26.नारणाराम पुत्र खेमाराम
- 27.रहिंगाराम पुत्र खेमाराम
- 28.दानाराम पुत्र खेमाराम

जाति जाट निवासी श्री वीर तेजाजी
नगर (दुधवा)तहसील पचपदरा व जिला
बालोतरा

29.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा



राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956उपस्थिति-

1. श्री पुनमाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थी एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 27/03/2026

1. संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम श्री वीर तेजाजी नगर पटवार हल्का दुधवा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 389/168 क्षेत्रफल 3.2779 हैक्टेयर, खसरा संख्या 513/168 क्षेत्रफल 3.2779 हैक्टेयर, खसरा संख्या 514/168 क्षेत्रफल 3.2779 हैक्टेयर, खसरा संख्या 525/168 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर, खसरा संख्या 526/168 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर, खसरा संख्या 387/168 क्षेत्रफल 9.6315 हैक्टेयर, खसरा संख्या 388/168 क्षेत्रफल 9.5263 हैक्टेयर, खसरा संख्या 395/168 क्षेत्रफल 6.8473 हैक्टेयर, खसरा संख्या 523/168 क्षेत्रफल 3.2375 हैक्टेयर, खसरा संख्या 393/168 क्षेत्रफल 3.4236 हैक्टेयर, खसरा संख्या 394/168 क्षेत्रफल 3.3832 हैक्टेयर, खसरा संख्या 392/168 क्षेत्रफल 3.3832 हैक्टेयर, खसरा संख्या 386/168 क्षेत्रफल 6.9201 हैक्टेयर, खसरा संख्या 527/168 क्षेत्रफल 3.2375 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम श्री वीर तेजाजी नगर पटवार हल्का दुधवा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 389/168 क्षेत्रफल 3.2779 हैक्टेयर, खसरा संख्या 513/168 क्षेत्रफल 3.2779 हैक्टेयर, खसरा संख्या 514/168 क्षेत्रफल 3.2779 हैक्टेयर, खसरा संख्या 525/168 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर, खसरा संख्या 526/168 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर, खसरा संख्या 387/168 क्षेत्रफल 9.6315 हैक्टेयर, खसरा संख्या 388/168 क्षेत्रफल 9.5263 हैक्टेयर, खसरा संख्या 395/168 क्षेत्रफल 6.8473 हैक्टेयर, खसरा संख्या 523/168 क्षेत्रफल 3.2375 हैक्टेयर, खसरा संख्या 393/168 क्षेत्रफल 3.4236 हैक्टेयर, खसरा संख्या 394/168 क्षेत्रफल 3.3832 हैक्टेयर, खसरा संख्या 392/168 क्षेत्रफल 3.3832 हैक्टेयर, खसरा संख्या 386/168 क्षेत्रफल 6.9201 हैक्टेयर, खसरा संख्या 527/168 क्षेत्रफल 3.2375 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र भेजा किया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण उक्त विप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही पारित की गई।

उपखण्ड अधिकारी
(B.O.) बालूतरा

3. हमने उभय पक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम श्री वीर तेजाजी नगर पटवार हल्का दुधवा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 389/168 क्षेत्रफल 3.2779 हैक्टेयर, खसरा संख्या 513/168 क्षेत्रफल 3.2779 हैक्टेयर, खसरा संख्या 514/168 क्षेत्रफल 3.2779 हैक्टेयर, खसरा संख्या 525/168 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर, खसरा संख्या 526/168 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर, खसरा संख्या 387/168 क्षेत्रफल 9.6315 हैक्टेयर, खसरा संख्या 388/168 क्षेत्रफल 9.5263 हैक्टेयर, खसरा संख्या 395/168 क्षेत्रफल 6.8473 हैक्टेयर, खसरा संख्या 523/168 क्षेत्रफल 3.2375 हैक्टेयर, खसरा संख्या 393/168 क्षेत्रफल 3.4236 हैक्टेयर, खसरा संख्या 394/168 क्षेत्रफल 3.3832 हैक्टेयर, खसरा संख्या 392/168 क्षेत्रफल 3.3832 हैक्टेयर, खसरा संख्या 386/168 क्षेत्रफल 6.9201 हैक्टेयर, खसरा संख्या 527/168 क्षेत्रफल 3.2375 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृत्ति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहते है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम श्री वीर तेजाजी नगर पटवार हल्का दुधवा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 389/168 क्षेत्रफल 3.2779 हैक्टेयर, खसरा संख्या 513/168 क्षेत्रफल 3.2779 हैक्टेयर, खसरा संख्या 514/168 क्षेत्रफल 3.2779 हैक्टेयर, खसरा संख्या 525/168 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर, खसरा संख्या 526/168 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर, खसरा संख्या 387/168 क्षेत्रफल 9.6315 हैक्टेयर, खसरा संख्या 388/168 क्षेत्रफल 9.5263 हैक्टेयर, खसरा संख्या 395/168 क्षेत्रफल 6.8473 हैक्टेयर, खसरा संख्या 523/168 क्षेत्रफल 3.2375 हैक्टेयर, खसरा संख्या 393/168 क्षेत्रफल 3.4236 हैक्टेयर, खसरा संख्या 394/168 क्षेत्रफल 3.3832 हैक्टेयर, खसरा संख्या 392/168 क्षेत्रफल 3.3832 हैक्टेयर, खसरा संख्या 386/168 क्षेत्रफल 6.9201 हैक्टेयर, खसरा संख्या 527/168 क्षेत्रफल 3.2375 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे



4. हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम श्री वीर तेजाजी नगर पटवार हल्का दुधवा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 389/168 क्षेत्रफल 3.2779 हैक्टेयर, खसरा संख्या 513/168 क्षेत्रफल 3.2779 हैक्टेयर, खसरा संख्या 514/168 क्षेत्रफल 3.2779 हैक्टेयर, खसरा संख्या 525/168 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर, खसरा संख्या 526/168 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर, खसरा संख्या 387/168

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालातरा

क्षेत्रफल 9.6315 हैक्टेयर, खसरा संख्या 388/168 क्षेत्रफल 9.5263 हैक्टेयर, खसरा संख्या 395/168 क्षेत्रफल 6.8473 हैक्टेयर, खसरा संख्या 523/168 क्षेत्रफल 3.2375 हैक्टेयर, खसरा संख्या 393/168 क्षेत्रफल 3.4236 हैक्टेयर, खसरा संख्या 394/168 क्षेत्रफल 3.3832 हैक्टेयर, खसरा संख्या 392/168 क्षेत्रफल 3.3832 हैक्टेयर, खसरा संख्या 386/168 क्षेत्रफल 6.9201 हैक्टेयर, खसरा संख्या 527/168 क्षेत्रफल 3.2375 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्ड्ड खातेदार है, और रिकार्ड्ड खातेदार होने के कारण विवादित भूमि की सीमाओं को लेकर सेढा पड़ौसीयो मे सीमा विवाद होना बताकर विवादित भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. का उल्लेख करना उचित समझते है, जिसके अनुसार:-**धारा 128 सीमा विवाद**-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेंगे:

1.(परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र, जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 07.7.2024 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है, अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने निर्देशित करना उचित समझते हैं।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम श्री वीर तेजाजी नगर पटवार हल्का दुधवा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 389/168 क्षेत्रफल 3.2779 हैक्टेयर, खसरा संख्या 513/168 क्षेत्रफल 3.2779 हैक्टेयर, खसरा संख्या 514/168 क्षेत्रफल 3.2779 हैक्टेयर, खसरा संख्या 525/168 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर, खसरा संख्या 526/168 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर, खसरा संख्या 387/168 क्षेत्रफल 9.6315 हैक्टेयर, खसरा संख्या 388/168 क्षेत्रफल 9.5263 हैक्टेयर, खसरा संख्या 395/168 क्षेत्रफल 6.8473 हैक्टेयर, खसरा संख्या 523/168 क्षेत्रफल 3.2375 हैक्टेयर, खसरा संख्या 393/168 क्षेत्रफल 3.4236 हैक्टेयर, खसरा संख्या 394/168 क्षेत्रफल 3.3832 हैक्टेयर, खसरा संख्या 392/168 क्षेत्रफल 3.3832 हैक्टेयर, खसरा संख्या 386/168 क्षेत्रफल 6.9201 हैक्टेयर, खसरा संख्या 527/168 क्षेत्रफल 3.2375 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

5

राज्य आयुक्त संख्या 375/2025

चूनाराम बनाम मालाराम वगैरा

का चिन्हिकरण करते हुए पैमाईश कर विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार ~~पंचपट्टा~~ को आदेशित किया जाता है।

(अशोककुमार)

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 27/03/2026 लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा